संख्या-106/2025/542/23-9002(002)/93/2023

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊः दिनांक 09 अप्रैल, 2025**

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-58 में जनपद गोण्डा के 06 मार्गों के चालू कार्यों हेतु कुल स्वीकृत लागत में जी0एस0टी0 की अतिरिक्त धनराशि को जोड़ते हुए कुल लागत की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0-8662BS/07बी/जीएसटी/2024-25, दिनांक 24.02.2025 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या- 38/2021/आ0-148/23-9-2020/04स0मा0/2020, दि0 17.02.2021 द्वारा जनपद गोण्डा के 06 मार्गों के कार्य हेतु निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में जी0एस0टी0 की अतिरिक्त धनराशि के धनावंटन का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-292/दस/2022, दिनांक 13.09.2024 के क्रम में जनपद गोण्डा के 06 मार्गों के कार्य हेतु लागत के पुनरीक्षण के उपरान्त ही अवशेष जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त की जा सकती है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-58 के अधीन जनपद गोण्डा के 06 मार्गों के चालू कार्यों हेतु पूर्व स्वीकृत लागत रू0 1174.64 लाख में वृद्धि के दृष्टिगत कुल लागत रू0 11,91,68,000/- (रूपये ग्यारह करोड़ इक्यानबे लाख अड़सठ हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.	जनपद का नाम	कार्य का नाम	मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या	पूर्व स्वीकृत लागत	बचत के उपरान्त लागत	अतिरिक्त जी0एस0टी0 की धनराशि	जी0एस0टी0 सहित पुनरीक्षित लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गोण्डा	खरगपुर का मजरा रूदईपुरवा संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	38/2021/आ0-148/23-9-2020/04स0मा0/2020, दि0 17.02.2021	174.85	174.13	3.62	177.75
2	गोण्डा	बालकराम स्वरूपपुरवा सम्पर्क मार्ग के किमी 1 सरपंचपुरवा फार्म हाऊस, लौव्वाविरसिंहपुर संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	38/2021/आ0-148/23-9-2020/04स0मा0/2020, दि0 17.02.2021	271.93	271.72	12.92	284.64
3	गोण्डा	बरौली लालापुरवा संपर्क मार्ग के किमी 2 से ईदगाह, अहिरनपुरवा होते हुए नाऊपुरवा संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	38/2021/आ0-148/23-9-2020/04स0मा0/2020, दि0 17.02.2021	159.60	159.38	2.55	161.93
4	गोण्डा	बरौली पूरे विशेन सम्पर्क मार्ग के किमी 3 से दायें पासिनपुरवा, साई तकिया होते हुए गड़ेरियनपुरवा संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	38/2021/आ0-148/23-9-2020/04स0मा0/2020, दि0 17.02.2021	173.23	172.98	2.11	175.09
5	गोण्डा	फरेन्दा जरवल मार्ग के किमी 230 बायें बछलनपुरवा संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	38/2021/आ0-148/23-9-2020/04स0मा0/2020, दि0 17.02.2021	163.24	155.07	1.66	156.73
6	गोण्डा	बहुवन मदार माझा का मजरा कादीपुरवा संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	38/2021/आ0-148/23-9-2020/04स0मा0/2020, दि0 17.02.2021	231.79	230.39	5.15	235.54
			योग	**1174.64**	**1163.67**	**28.01**	**1191.68**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) विभाग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) विभाग व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(6) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनु02 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दिनांक 25 जनवरी 2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(8) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(10) विभाग द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(11) विभाग द्वारा नियोजन विभाग के शासनादेश दिनांक 07 जून, 2022 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार प्रश्नगत परियोजनाओं को सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर पंजीकृत कर लेंगे।

(12) विभाग द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) विभाग द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शासनादेश दिनांक 17.02.2021 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

2- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-8-1-X-2025-26, दिनांक 25.03.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।।

भवदीय

शिव कुमार

अनु सचिव।

<u>संख्या- उपरोक्त तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।

2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।

3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

4- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।

6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।

7- उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

9- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।

10- राज्य योजना आयोग अनुभाग1/2

11- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

12- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।

13- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2

14- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
शिव कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।